बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध बैठक–03/2012 (खंड)–I 1037   खाद्य, पटना/दिनांक– 10/3/2023

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 20 के आलोक में रोस्टर तैयार कर निरीक्षण करने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

आप अवगत है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 20 में जिला पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों, राज्य खाद्य निगम के गोदाम तथा किरासन तेल के थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों सहित लक्षित जन वितरण प्रणाली के निर्गमन, परिवहन, वितरण एवं ट्रैकिंग के निरीक्षण का प्रावधान है। कंडिका–20 (ii) में निरीक्षण रोस्टर तैयार करने का प्रावधान है, ताकि निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का तीन माह में कम से कम एक बार तथा राज्य खाद्य निगम के गोदामों/किरासन तेल के थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का माह में कम से कम एक बार निरीक्षण सुनिश्चित हो। तदनुसार विभागीय पत्रांक 859 दिनांक 26.02.2001 तथा पत्रांक 9958 दिनांक 31.12.2014 के द्वारा निरीक्षण करने संबंधी निदेश निर्गत किए गए थे। 'बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के लागू होने के पश्चात् विभागीय पत्रांक 1556 दिनांक 08.04.2020 के द्वारा निरीक्षण संबंधी निदेश तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप प्रावधानित किए गए है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 407 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा भी बुधवार एवं गुरूवार को किए जाने वाले क्षेत्रीय निरीक्षण में लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों को शामिल किया गया है।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 20 के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु पूर्व में निरीक्षण संबंधी परिपत्रों को संशोधित करते हुए निम्न स्थायी निदेश निर्गत किए जाते है :

1. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 20 (ii) के तहत जिला पदाधिकारी तीन–तीन माह के अंतराल पर निम्न प्रारूप में निरीक्षण रोस्टर निर्गत करेंगे :

पदाधिकारी का नाम	निर्धारित निरीक्षण तिथियाँ	निरीक्षण किए जाने वाले प्रतिष्ठानों की संक्षिप्त विवरणी
1	2	3

2. निरीक्षण रोस्टर तैयार करते समय कंडिका–20(i) में वर्णित पदाधिकारी के साथ–साथ जिला पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य पदाधिकारी को भी निरीक्षण हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा।

10/3/23

D:\section-7\P_2023\Karan\ne\P_sec_7 letter 2021.doc

3. कंडिका–20(ii) के तहत निरीक्षण रोस्टर इस तरह तैयार किया जाएगा कि प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का तीन माह में कम से कम एक बार तथा राज्य खाद्य निगम के गोदामों/किरासन तेल के थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों सहित निर्गम केन्द्रों का प्रत्येक माह में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य हो।

4. रोस्टर के अतिरिक्त प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने की स्वतंत्रता होगी और किसी प्रकार के शिकायत प्राप्त होने या किसी अवैधानिक कृत्य की आशंका होने/सूचना प्राप्त होने पर किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा कभी भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान या निर्गम केन्द्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

5. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–20(iii) के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करने हेतु सूचना प्रोद्योगिकी तंत्र आधारित निरीक्षण प्रणाली का विकास एन0आई0सी0 के सहयोग से किया जा रहा है और इसके लागू होने के पश्चात् मोबाइल ऐप के माध्यम से निरीक्षी पदाधिकारी अपना निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित कर सकेंगे। उक्त प्रणाली विकसित होने तक सभी निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना के द्वारा संधारित किए जायेंगे। सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण की एक प्रति अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी को अनिवार्यतः दी जाएगी, ताकि निरीक्षण प्रतिवेदनों के आलोक में यथोचित कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध बैठक–03/2012 (खंड)–I 1037 खाद्य, पटना/दिनांक– 10/3/2023

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध बैठक–03/2012 (खंड)–I 1037 खाद्य, पटना/दिनांक– 10/3/202

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध बैठक–03/2012 (खंड)–I 1037 खाद्य, पटना/दिनांक– 10/3/202

प्रतिलिपि– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।